राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 11/01/2022 को संपन्न 393वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

----00----

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

डॉ. दीपक सिन्हा, सहायक आचार्य, रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय नागार्जुन स्नाकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर, अध्यक्ष की अनुमति से समिति की सहायता हेतु उपस्थित रहे।

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 392वीं बैठक दिनांक 10/01/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 4894(अ), दिनांक 23/11/2021 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन किया गया है। तदानुसार अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 05/01/2022 द्वारा दिये गये आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावकों को उपस्थित होने बाबत् पत्र जारी किया गया।

1. मेसर्स श्री संदीप कुमार गुप्ता (जामपानी आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–जामपानी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1578)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /200728/2021, दिनांक 02/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जामपानी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 364, कुल क्षेत्रफल–1.46 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,737.6 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जामपानी का दिनांक 12/03/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 320/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 322/खनिज/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक होना बताया गया है, जबकि प्रस्तुत KML File के अनुसार 240 मीटर में 1 अन्य खदान होना पाया गया।
4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 323/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, रेल लाईन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है, जिसमें एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 3488/खनिज/उ.प./जामपानी/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
6. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3330 बैकुण्ठपुर, दिनांक 29/05/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.7 कि.मी. की दूरी पर है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-जामपानी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-जामपानी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.5 कि.मी. दूर है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,36,520 टन, माईनेबल रिजर्व 1,40,470 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,33,446 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 4,999.5 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,515
द्वितीय	13,547
तृतीय	13,681
चतुर्थ	13,701
पंचम	13,701

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	13,702
सप्तम	13709
अष्ठम	13,717
नवम	13,729
दशम	13,738

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

12. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
41.87	2%	0.84	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Jampani**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with Fencing	0.10
			Total	**0.85**

प्रस्ताव का पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं पेय जल हेतु प्रस्तुत अनुमानित राशि कम प्रतीत होती है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक होना बताया गया है, जबकि प्रस्तुत **KML File** के अनुसार 240 मीटर में 1 अन्य खदान होना पाया गया। अतः वास्तविक जानकारी का समावेश कर नवीन 500 मीटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 912/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.2 होना बताया गया है, जिसमें क्षेत्रफल का मात्रक (एरिया यूनिट) दर्शित नहीं किया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के

बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत जामपानी का दिनांक 18/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में दिये विवरण अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अयान गुहा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1414/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.2 हेक्टेयर है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन दिनांक 17/11/2020 द्वारा जारी एल.ओ.आई. की अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. लीज क्षेत्र में कितने नग वृक्ष जीवित है, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के

लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। समिति का मत है कि वाहनों के आवागमन हेतु सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेंच की चौड़ाई के संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र में कितने नग वृक्ष जीवित है, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. वाहनों के आवागमन हेतु सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेंच की चौड़ाई के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री राजा बाबू साहू (कुडेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1579)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /201008/2021, दिनांक 02/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 934 एवं 939, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,737.6 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुडेली का दिनांक 28/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 243/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 245/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर (मिट्टी खदान) होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए,

जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

4. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 244/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, रेल लाईन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 3709/खनिज/उ.प./कुडेली/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्रीमती राजकुमारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2715 बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/04/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.75 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,24,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,76,272 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,67,458 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,255 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 19,867.5 घनमीटर है, जिसमें 6,000 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष मिट्टी को ईंट निर्माण इकाई को विक्रय किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,669
द्वितीय	13,511
तृतीय	13,507
चतुर्थ	13,547
पंचम	13,567

आगामी वर्षो की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	13,507
सप्तम	13,608
अष्ठम	13,547
नवम	13,527
दशम	13,738

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
66.13	2%	1.32	Following activities at Nearby Government High School, **Village-Kudeli**	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with Fencing	0.15
			Total	**1.35**

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में प्रस्तावित क्रशर का क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। परंतु प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लीज क्षेत्र में प्रस्तावित क्रशर का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर बताया गया। अतः उक्त को लेण्ड यूस पैटर्न (Land use pattern) में समावेश करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईंट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईंट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि

1. लेण्ड यूस पैटर्न (Land use pattern) में प्रस्तावित क्रशर का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर को समावेश करते हुये रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो

खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 761/खनिज/उत्ख.यो.अनु. /2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 913/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 (मिट्टी खदान) खदान, क्षेत्रफल 1.24 होना बताया गया है, जिसमें क्षेत्रफल का मात्रक (एरिया यूनिट) दर्शित नहीं किया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईंट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के दौरान निकलने वाली ऊपरी मिट्टी 19,867.5 घनमीटर में से 6,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 13,867.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को श्री विवेक राठौर एवं श्री मयंक राठौर की समीपस्थ भूमि पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। ऊपरी मिट्टी को भंडारित कर, वृक्षारोपण करने हेतु श्री विवेक राठौर एवं श्री मयंक राठौर से सहमति ली गई है। उक्त का समावेश संशोधित क्वारी प्लान में किया गया है।

4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत कुड़ेली का दिनांक 09/04/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में दिये विवरण अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजा बाबू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1414/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर है। जो क्लस्टर माईनिंग के प्रावधानों को आकर्षित करता है। तदानुसार प्रकरण को मूल्यांकन किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी एल.ओ.आई. की अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ऊपरी मिट्टी के भंडारण के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र में गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर सहित नोटरी से सत्यापित नहीं है।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। समिति का मत है कि खदान में सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई में स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी के भंडारण के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र में गवाहो के नाम एवं हस्ताक्षर सहित नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

6. खदान में सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स हथखोज–01 सेण्ड माईन (प्रो.– श्री बसंत कुमार ठाकुर), ग्राम–हथखोज, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1729)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 218285/2021, दिनांक 15/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–हथखोज, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1/1, कुल क्षेत्रफल– 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,22,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत हथखोज का दिनांक 05/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2715/खनि02/सा.रेत/उ.यो.अनु./न.क.16/2021 नवा रायपुर, दिनांक 11/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 63/खनि/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 28/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 61/खनि/न.क. /2021 गरियाबंद, दिनांक 28/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय

राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री बसंत कुमार ठाकुर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 356/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हथखोज 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–हथखोज 2 कि.मी. एवं अस्पताल राजिम 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 23 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 951 मीटर, न्यूनतम 870 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 229 मीटर, न्यूनतम 225 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 226 मीटर, न्यूनतम 214 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 158 मीटर, न्यूनतम 150 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,22,500 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.54 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 28/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
67	2%	1.34	Following activities at Nearby Government Primary School & Panchayat Bhawan, **Village- Hathkhoj**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.35
			Total	**1.35**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुरारी डिडवानिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक मा.चि./अभिमत/3144 गरियाबंद, दिनांक 04/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 4 कि.मी. की दूरी पर है एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी एल.ओ.आई. की अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये है, जिसमें सर्वेयर (Surveyor) का सील एवं हस्ताक्षर नहीं है।

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली भूमि में किया जाएगा। समिति का मत है कि इस हेतु ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. लीज सीमा से अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर सर्वेयर (Surveyor) के हस्ताक्षर एवं सील सहित सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
5. वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली भूमि का ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स हथखोज–02 सेण्ड माईन (प्रो.– श्री बसंत कुमार ठाकुर), ग्राम–हथखोज, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1730)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 218262/ 2021, दिनांक 15/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–हथखोज, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1/1, कुल क्षेत्रफल– 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,22,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत हथखोज का दिनांक 05/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना –** माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2713/खनि02/सा.रेत/उ.यो.अनु./न.क.15/2021 नवा रायपुर, दिनांक 11/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 68/खनि/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 28/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 66/खनि/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 28/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. श्री बसंत कुमार ठाकुर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 358/गौण खनिज/नीलामी/न.क./2021 गरियाबंद, दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी –** निकटतम आबादी ग्राम–हथखोज 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–हथखोज 2 कि.मी. एवं अस्पताल राजिम 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 23 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1097 मीटर, न्यूनतम 1077 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 282 मीटर, न्यूनतम 277 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 185 मीटर, न्यूनतम 165 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 138 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,22,500 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.48 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 28/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">67</td><td rowspan="5">2%</td><td rowspan="5">1.34</td><td colspan="2">Following activities at Nearby Government Middle School, Village- Hathkhoj</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>0.50</td></tr>
<tr><td>Portable Drinking Water Facility with 5 year AMC</td><td>0.35</td></tr>
<tr><td>Plantation with fencing and maintenance</td><td>0.54</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1.39</td></tr>
</table>

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुरारी डिडवानिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल, जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक मा.चि./अभिमत/3187 गरियाबंद, दिनांक 08/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 4 कि.मी. की दूरी पर है एवं अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी एल.ओ.आई. की अवधि 6 माह हेतु वैध थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये है, जिसमें सर्वेयर (Surveyor) का सील एवं हस्ताक्षर नहीं है।
5. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण का कार्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली भूमि में किया जाएगा। समिति का मत है कि इस हेतु ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज सीमा से अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर सर्वेयर (Surveyor) के हस्ताक्षर एवं सील सहित सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

5. वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली भूमि का ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

6. वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

7. उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स शर्मा मिनरल्स (प्रो.– श्री त्रिलोक शर्मा), ग्राम–खुर्सीपार एवं भाखरी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1713)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 212758 / 2021, दिनांक 24 / 06 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20 / 07 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05 / 08 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खुर्सीपार एवं भाखरी, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 363 / 1(पार्ट), 363 / 2(पार्ट), 363 / 3, 363 / 4, 363 / 5(पार्ट), 363 / 6(पार्ट), 363 / 8(पार्ट), 363 / 12, 363 / 13(पार्ट), 363 / 14(पार्ट), 363 / 18(पार्ट), 363 / 10, 361 / 4 एवं 253 / 2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.34 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,560 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01 / 09 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री त्रिलोक शर्मा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 363 / 1(पार्ट), 363 / 2(पार्ट), 363 / 3, 363 / 4, 363 / 5(पार्ट), 363 / 6(पार्ट), 363 / 8(पार्ट), 363 / 12, 363 / 13(पार्ट), 363 / 14(पार्ट), 363 / 18(पार्ट), 363 / 10, 361 / 4 एवं

253/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.34 हेक्टेयर, क्षमता–10,560 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 19/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 335/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 09/06/2012 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2019	10,005
2019–20	10,005
2020–21	10,005

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खुर्सीपार का दिनांक 23/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन–6/2018/357(2) रायपुर, दिनांक 21/05/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 991/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.912 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 991/ख.लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री त्रिलोक शर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/10/2018 से 04/10/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 10–1/2020/5292 राजनांदगांव, दिनांक 14/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 7.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खुर्सीपार 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–खुर्सीपार 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल डोगरगांव 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। नाला 0.05 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,69,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 1,80,010 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,399 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 760 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,005
द्वितीय	10,005
तृतीय	10,005
चतुर्थ	10,005
पंचम	10,005

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	10,005
सप्तम	10,560
अष्टम	10,560
नवम	10,350
दशम	10,350

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,350 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 600 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 750 नग पौधे 15 दिन के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समिति द्वारा

परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जाने के निर्देश दिये गये।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,399 वर्गमीटर है, जिसमें से उत्तर दिशा के 105 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक एवं पश्चिम दिशा के 80 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 185 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। समिति का मत है कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजवर्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
30	2%	0.60	Following activities at Government High School, **Village-Khursipar**	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation with fencing	0.25
			Total	**0.60**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) के कुछ भाग उत्खनित है एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजवर्स की विस्तृत

गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5328/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,03,000 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,80,007 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,42,493 टन है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,399 वर्गमीटर है, जिसमें से उत्तर दिशा के 30 वर्गमीटर क्षेत्र 3.5 मीटर की गहराई तक एवं पश्चिम दिशा के 20 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 185 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। अतः उपरोक्त का समावेश करते हुए अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड (सेमरिया लाईम स्टोन माईन), ग्राम–सेमरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1491)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /59127/2020, दिनांक 15/12/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेमरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 147, कुल क्षेत्रफल–3.096 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. भू–स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत **प्रस्ताव पूर्ण** विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज एवं अनुरोध पत्र दिनांक 13/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अरोरा, सीनियर जरनल मेनेजर एवं डॉ. सतीष मिश्रा, जरनल मेनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः-**

   i. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स

सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/2694/खनि.लि.2/खनिज/2020 दुर्ग, दिनांक 02/09/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
जनवरी 2014 से दिसम्बर 2015	निरंक
2016	3,128.4
2017	1,822.74
2018	499.56
जनवरी 2019 से जून 2020	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरिया(गि.) का दिनांक 26/05/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन एप्रुव्हड माईनिंग प्लान एलांग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/दुर्ग/चूप/खयो–1073/2017–रायपुर, दिनांक 24/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि.लि./खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 519.8 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4203/खनि.लि. /खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री अशोक बाफना के नाम पर थी। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/09/2001 से 17/09/2021 तक थी। लीज का हस्तांतरण दिनांक 20/06/2013 को मेसर्स जे.के. लक्ष्मी सीमेंट के नाम पर किया गया। लीज डीड की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/3999 दुर्ग, दिनांक 01/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 3.14 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमरिया 0.9 कि.मी., स्कूल ग्राम–सेमरिया 1 कि.मी. एवं अस्पताल धमधा 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2 कि.मी. एवं तांदुला नाला 3 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,15,800 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,47,100 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,175 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट फुल्ली मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 59 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नही है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। आगामी वर्षों की वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण प्रस्तुत एप्रूव्ड माईनिंग प्लान नहीं है। अतः उक्त का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति शिवनाथ नदी एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना बताया गया है। जिसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत गूगल मैप में लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के कुछ भाग उत्खनित होना एवं बरसाती नाला खदान से लगी हुई प्रतीत हो रहा है। जबकि उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत गूगल मैप में त्रुटि है तथा लीज क्षेत्र की सीमा से नाले की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है। उक्त स्थितियों को स्पष्ट करने हेतु समिति द्वारा उपसमिति का गठन कर निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण कर पुष्टि किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. लीज डीड की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी एवं जल संसाधन विभाग से अनुमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन होना पाया गया है। उपरोक्त विवरण आधार पर श्री किशन सिंह ध्रुव एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को सम्मिलित करते हुये दो सदस्यीय उपसमिति गठित की जाएगी। उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
6. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं उपसमिति को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स बेलबहरा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमति रश्मि खन्ना), ग्राम-बेलबहरा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1689)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 212789/2021, दिनांक 01/06/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/06/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बेलबहरा, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 130 एवं 132(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 7,531.34 टन (2,689.8 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रिंकेश खन्ना, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 130, 132, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर, क्षमता - 2,689.64 घनमीटर (7,531 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया

द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1043/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 13/07/2021 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	430
2018	132
2019	2,689
2020	2,686

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलबहरा का दिनांक 11/06/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2503/खनिज/खलि.2/2016/कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1045/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1044/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती रश्मि खन्ना के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 07/10/2014 से 06/10/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो कि अपठनीय है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल मनेन्द्रगढ के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2012/1916 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 22/11/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा

वन क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है। लीज क्षेत्र में 3 नग पलास के वृक्ष स्थित है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलबहरा 0.6 कि.मी., स्कूल ग्राम–बेलबहरा 7 कि.मी. एवं अस्पताल 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.23 कि.मी. दूर है। बांध 0.2 कि.मी. दूर है। हसदो नदी 3.3 कि.मी दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,37,571 टन, माईनेबल रिजर्व 70,806 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 63,725 टन है। लीज की 7. 5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,301. 79 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,073 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 202.02 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	4,213
द्वितीय वर्ष	6,805
तृतीय वर्ष	7,497
चतुर्थ वर्ष	7,531
पंचम वर्ष	7,531

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	7,531
सप्तम	7,531
अष्टम	7,531
नवम	7,531

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 520 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 120 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 400 नग पौधे रोपित किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, **Village – Kolpara**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.20
			Total	**0.80**

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना के दौरान लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 3,301.79 वर्गमीटर एवं लेण्ड यूज पैटर्न में 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 0.198 हेक्टेयर का उल्लेख है। उक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही क्रशर लीज क्षेत्र के किस भाग में अवस्थित है यह स्पष्ट किया जाना है। यदि क्रशर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी के भीतर स्थित है, तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा।

18. माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 6,073 घनमीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उक्त ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 2 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित कर वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा के कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज की पठनीय प्रति एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त दिये गये विवरण अनुसार क्रशर एवं लेण्ड यूज पैटर्न में संशोधन तथा ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में किये गए वृक्षारोपण की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रस्तावित वृक्षारोपण की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 25/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रिंकेश खन्ना, अधिकृति प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार यह शासकीय भूमि है।
2. क्रशर एवं लेण्ड यूज पैटर्न में संशोधन करते हुये मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1398/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 05/10/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार कुल ऊपरी मिट्टी 5,338.63 घनमीटर जनित होगा। 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) में 3,260 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को एकत्र कर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष 2,078.63 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को आवेदित खसरा क्रमांक 130 के 1.83 हेक्टेयर क्षेत्र पर संरक्षित रखा जायेगा।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 3605/खनिज/उ.प./2020/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 01/12/2020 द्वारा जारी अनुबंध पत्र अनुसार पत्थर अस्थाई भंडारण शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 132 के 1.83 हेक्टेयर क्षेत्र पर संरक्षित रखने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. समिति द्वारा नोट किया गया कि ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु प्रस्तुत मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान में खसरा क्रमांक 130 के 1.83 हेक्टेयर में रखे जाने का उल्लेख है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया द्वारा जारी अनुबंध पत्र अनुसार पत्थर अस्थाई भंडारण शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 132 के 1.83 हेक्टेयर क्षेत्र पर संरक्षित किया जाएगा। परियोजेना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 132 के 1.83 हेक्टेयर क्षेत्र में उपरी मिट्टी को भंडारित किया जाएगा। अतः उपरोक्त खसरा के भिन्नता के संबंध में संशोधित अनुमोदित माईनिग प्लान एवं उपरी मिट्टी के भंडारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत बेलबहरा का दिनांक 23/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर में निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया जाना था। परंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा 120 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि शेष वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर वृक्षारोपण की जानकारी फोटोग्राफ्स एवं विडियोग्राफी सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उपरोक्त विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान एवं उपरी मिट्टी के भंडारण हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर में शेष वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर वृक्षारोपण की जानकारी फोटोग्राफ्स एवं विडियोग्राफी सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री नारायण यादव (सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-सहसपुर लोहारा, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1546)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन /196106/2021, दिनांक 05/02/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रकरण खदान की उत्खनन क्षमता के विस्तारीकरण का है। पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान की उत्पादन क्षमता 3,911 टन प्रतिवर्ष है। खदान ग्राम-सहसपुर लोहारा, तहसील-सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 937, कुल क्षेत्रफल-1.31 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-8,407 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात

निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 366वीं बैठक दिनांक 03/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नारायण यादव, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 937, कुल क्षेत्रफल–1.313 हेक्टेयर, क्षमता–3,911 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कबीरधाम द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 623/ख.लि./खनिज/उ.प./21 कबीरधाम, दिनांक 11/06/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2015–16	3,293
2016–17	2,009

2017–18	1,870
2018–19	3,737.7
2019–20	3,754

2. **नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत सहसपुर लोहारा का दिनांक 05/11/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2274/2/खनि/चू.प./उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 28/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/98/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 15/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/97/ख.लि./खनिज/उ.प./20–21 कबीरधाम, दिनांक 15/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री नारायण यादव के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 03/05/2015 से 02/05/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज के विस्तारीकरण हेतु खनिज साधन विभाग में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्रीमती सत्यवती के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./798 कवर्धा, दिनांक 19/01/2016 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नवापारा 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–नवापारा 0.17 कि.मी. एवं अस्पताल सहसपुर लोहारा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.5 कि.मी. दूर है। कर्रा नदी 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,19,673 टन, माईनेबल रिजर्व 1,69,553 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,61,075 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,195 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,700 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 0.13 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	6,375
द्वितीय	7,995
तृतीय	6,937
चर्तुथ	7,995
पंचम	8,407

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55	2%	1.55	Following activities at Government Primary School, **Village-Nawapara**	
			Rain Water Harvesting System	0.65
			Potable Drinking Water	0.25
			Running Water Facility for Toilets	0.10
			Plantation in School/ Community Health Center Premises	0.10
			Total	**1.10**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक एवं क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 30/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नारायण यादव, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज डीड की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। लीज के विस्तारीकरण हेतु खनिज साधन विभाग में आवेदन किया जाना बताया गया है।
3. जल की आपूर्ति हेतु नगर पंचायत सहसपुर लोहारा का दिनांक 11/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 08/10/2021 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 5 शर्तों (शर्त क्रमांक 3, 4, 5, 6 एवं 17) का आंशिक पालन बताया गया है एवं 10 शर्तों (शर्त क्रमांक 7, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 30 एवं 31) का पालन नहीं किया गया है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/635/ख.लि./खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 कबीरधाम, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर कोई खदान संचालित नहीं है का उल्लेख है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. शासकीय प्राथमिक शाला, स.लोहारा में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य किए जाने हेतु प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला, स.लोहारा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. लीज डीड विस्तारिकरण की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. उपरोक्त विवरण अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आंशिक एवं अपूर्ण शर्तों का पालन पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अन्य खदानें प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

4. खदान के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण नहीं किया गया है। उक्त शर्त का पूर्ण पालन करने पश्चात् प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स मितघरा आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकिंग गिट्टी (प्रो.– श्री गजेन्द्र जैन), ग्राम–मितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1715)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 217297 / 2021, दिनांक 29 / 06 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 907 / 1, कुल क्षेत्रफल–0.75 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–34,468.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रहमानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मितघरा का दिनांक 18 / 06 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक क. / 975 / ख.लि.–2 / 2021 रायगढ़, दिनांक 03 / 06 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक / 57 / ख.शा. / 2021 जशपुर, दिनांक 14 / 06 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य

पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/58/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/269 जशपुर, दिनांक 23/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भितघरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–भितघरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बगीचा 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32.5 कि.मी. दूर है। डोरकी नदी 1.25 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,04,750 टन, माईनेबल रिजर्व 68,936 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 62,042 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,625 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,468
द्वितीय	34,468

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं पहुंच मार्ग में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Middle School, **Village - Bhitghara**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running water facility for flushing and washing Toilets	0.20
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी उपरोक्त विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं बादलखोल अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा एवं उसके भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 171/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 02/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जिला-जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/3173 जशपुर, दिनांक 10/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1 कि.मी. एवं बादलखोल अभ्यारण्य से 5 कि.मी. दूर है।
3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा 2,437.5 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. परियोजना हेतु खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 17/11/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गजेन्द्र जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2240ए/ख.लि.-2/2021 रायगढ़, दिनांक 08/11/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,04,750 टन (78,750 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 56,550 टन (21,750 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 50,895 टन है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार

लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,055 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा के 665 वर्गमीटर क्षेत्र में एवं उत्तरी दिशा के 100 वर्गमीटर क्षेत्र में 2.68 मीटर की ऊंचाई तक संरक्षित कर रखा जाएगा।

2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ऊपरी मिट्टी कन्जरवेशन प्लान को परियोजना लागत में सम्मिलित कर कुल परियोजना व्यय प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खन्न कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलद्रियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़